कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश

परिपत्रांक – सी 27/अधि0/वेतनभोगी–6/2015–16 दिनाँक : लखनऊ, जून 17, 2015

समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (नाम से)
सहकारिता, उ0प्र0।

विषय : वेतनभोगी सहकारी ऋण समितियों का विशेष अभियान चलाकर गठन कराया जाना।

जिला सहकारी बैंकों की अपनी पूँजी का लाभकारी ढंग से विनियोजित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लगातार बल दिया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में ऋण वितरण का विविधीकरण हो सकता है, उनमें से एक अत्यन्त सशक्त माध्यम वेतनभोगी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण का है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेतनभोगी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण की वृद्धि की असीम सम्भावना है। साथ ही साथ ऋण की वसूली में भी सुनिश्चितता है। अतः यह आवश्यक है कि जनपद के अन्तर्गत जिन संस्थाओं की वेतनभोगी समितियाँ गठित हो सकती है, उन्हें गठित किया जाय। इसलिए जिला सहकारी बैंकों एवं वेतनभोगी सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से ऋण बाँटने हेतु इस कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–130/अधि0/वेतनभोगी/दि0 24.12.1993, परिपत्र सं0 सी–53/अधि0/वेतनभोगी/दिनांक 23.10.1996 तथा परिपत्र सं0 सी–139/अधि0/वेतनभोगी/दिनांक 13.04.1998 द्वारा प्रदेश के समस्त नगरों एवं महानगरों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं, नगर निगमों, टाउन एरिया, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत् कर्मचारियों की वेतनभोगी सहकारी ऋण समितियों के गठन हेतु प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि इस ओर विशेष अभियान चलाकर प्रदेश के सभी शैक्षिणिक संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निगमों एवं टाउन एरियों में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतनभोगी सहकारी ऋण समितियों का गठन कराकर उन्हें जिला सहकारी बैंकों से वित्त पोषण कराया जाय। ऐसा किए जाने से जहाँ एक ओर उक्त संस्थाओं के कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाईयों को दूर करने की सुविधा प्राप्त होगी वहीं बैंकों को अपने सरप्लस फण्ड सुरक्षित योजना में विनियोजित करने का अवसर प्राप्त होगा।

अतः उक्त संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने जनपद में एक माह का विशेष अभियान चलाकर अधिकाधिक संख्या में वेतनभोगी सहकारी ऋण समितियों का गठन कराया जाय। माह में जितनी वेतनभोगी समिति गठित हो, उनका विवरण इस कार्यालय को भेजा जाय। प्रत्येक दशा में 30.09.2015 तक जिले में कोई शैक्षिक संस्था, नगर निगम, टाउन एरिया, सार्वजनिक उपक्रम एवं मि. अथवा फैक्ट्री, जो चल रही हो तथा वेतन वितरण नियमित हो, अवशेष न रहे, जहाँ समितियाँ गठित न हो जायें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें तथा प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराएं।

(शैलेश कृष्ण)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : 2111-27/अधि0/वेतनभोगी/ दिनांक : उक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से वेतन भोगी सहकारी ऋण समितियों के गठन की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से करवाना सुनिश्चित करें –

1. समस्त मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0/ संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।